

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्यय अनुभाग)

जयपुर, दिनांक : 27.02.2013

क्रमांक प.4(232)वित्त-1(1)आ.व्यय/2011/

कोषाधिकारी,
अजमेर।

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या - 747 / 2012-13)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणानुसार अजमेर जिले की श्रीनगर पंचायत समिति की 10 ग्राम पंचायतों के 20 स्कूलों में सोलर पावर प्लान्ट लगाने हेतु जिला परिषद अजमेर के पीडी खाते में राशि हस्तान्तरण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 4 (1) परावि/पी.सी./मु. मंत्री बजट घोषणा कानपुरा (अजमेर)/सोलर पेनल/13/198 दिनांक 21.2.2013 के अनुसार जिला परिषद अजमेर के निजी निक्षेप खाते में राशि रु. 23.04 /- (अक्षरे राशि रूपये तैबीस लाख चार हजार मात्र) निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावे:-

-व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

बजट मद

मांग संख्या - 41

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196- जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(01)- तदर्थ सहायता


[01]- संस्थापन

12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) आयोजना

राशि रु. 23.04 /- (अक्षरे राशि रूपये तैबीस लाख चार हजार मात्र)

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में जिला परिषद अजमेर का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय

26.02.13
(सुधीर शर्मा)

संयुक्त सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीनगर, जिला अजमेर।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त सचिव, वित्त (बजट)